



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:-31-05-2024

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त विजय कुमार बिन्द को चोरी के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा जेल में बिताई गयी अवधि व कुल 3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना-लक्सा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 49/2022 धारा- 379, 411, 414 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त विजय कुमार बिन्द पुत्र रामबाबू निवासी डी-63/64 तुलसीपुर पचपेड़वा सिगरा जनपद वाराणसी को थाना लक्सा पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 29.05.2024 को मा0 न्यायालय J.M-2 जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त विजय कुमार बिन्द उपरोक्त को धारा- 379, 411, 414 भादवि के अंतर्गत दोषी पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि तथा कुल 3000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी